अनुदान संख्या 15 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 15 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	213929,91,00	294278,19,00	281763,48,14	-12514,70,86
पूरक	Supplementary	80348,28,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12514,76,71
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	12029,67,00	12032,91,00	12011,48,00	-21,43,00
पूरक	Supplementary	3,24,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				21,42,96

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹1251470.86 लाख) ₹8034828.00 लाख के पूरक अनुदान का 16 प्रतिशत थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित की गई राशि (₹1251476.71 लाख) भी समग्र बचतों से अधिक थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the revenue section of grant, the overall savings (₹1251470.86 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grants of ₹8034828.00 lakhs obtained in December, 2022 and 4 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹1251476.71 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	8167.00	7232.15	7238.41	+6.26
पु.	R.	-934.85			
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	21323123.00	27310973.70	27310973.30	-0.40
पू.	S.	8034825.00			
पु.	R.	-2046974.30			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	60760.00	..	..	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-60761.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	941.00	834627.64	834627.63	-0.01
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-833685.64			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
पू.	S.	1.00	23508.80	23508.80	..
पु.	R.	23507.80			

(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹657961.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹657200.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(का) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" –

(क) "खरीद और आपूर्ति – अंतरा राज्य आवाजाही, खाद्यान्नों की हैंडलिंग और एनएफएसए के तहत डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता" – ₹521952.80 लाख;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अंतरा राज्य आवाजाही, खाद्यान्नों की हैंडलिंग और एनएफएसए के तहत डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता" – ₹49567.60 लाख;

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – अंतरा राज्य आवाजाही, खाद्यान्नों की हैंडलिंग और एनएफएसए के तहत डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता" – ₹25679.60 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" – "नागरिक आपूर्ति – अन्य अनुदान – अंतरा राज्य आवाजाही, खाद्यान्नों की हैंडलिंग और एनएफएसए के तहत डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता" – ₹60000.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा योजना का केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) से केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) में पुनः वर्गीकरण करने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य राजसहायता – एनएफएसए के तहत खाद्यान्न लेनदेन के संबंध में एफसीआई और अन्यों को देय राजसहायता" के अंतर्गत – ₹12753399.26 लाख का मूल प्रावधान ₹5996116.14 लाख

(I) Provision of ₹657961.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹657200.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2408" - "Food" -

(a) "Procurement and Supply - Central Assistance to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA" - ₹521952.80 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Central assistance to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA" - ₹49567.60 lakhs;

(c) "Tribal Area Sub-Plan - "Central assistance to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA" - ₹25679.60 lakhs; and

(B) Major Head "2552" - "Civil Supplies-Other Grants - Central assistance to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA" - ₹60000.00 lakhs.

Provision under the above four heads remained unutilised due to re-classification of the scheme from Central Sector (CS) to Centrally Sponsored Scheme (CSS) by Ministry of Finance.

(II) Under Major Head "2408" - "Food - Food Subsidies - Subsidy payable to FCI & others on foodgrains transactions under NFSA" - the original provision of ₹12753399.26 lakhs was augmented to

का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹18749515.40 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमगीकेएवाई) के समाप्त होने और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास अप्रयुक्त राशि की उपलब्धता के कारण ₹1432764.77 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

₹18749515.40 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5996116.14 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1432764.77 lakhs - due to discontinuation of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) Scheme and availability of unspent balances with Food Corporation of India (FCI).

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग" के अंतर्गत – ₹912.18 लाख की बचत (₹8083.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, भांडागार विकास प्रबंधन प्रणाली पोर्टल को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और छुट्टी यात्रा रियायत दावों, प्रकाशनों की खरीद और कम संख्या में प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Food and Public Distribution" - saving of ₹912.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8083.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of project to create Warehouse Development Management System portal and requirement of less funds towards leave travel concession claims, purchase of publications and less trainings.

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(IV) Under Major Head "2408" - "Food" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम–पीडीएस)" – ₹646.19 लाख की बचत (₹3100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं होने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS)" - saving of ₹646.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-fulfilment of requisite conditions in the proposals submitted by some States/Union Territories.

(खा) "खाद्य राजसहायता" –

(क) "ए ए वाई परिवारों के लिए पीडीएस के तहत देय चीनी पर राजसहायता" – ₹4930.97 लाख की बचत (₹30590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "एथनाल उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना" – ₹12500.00 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) "Food Subsidies" -

(a) "Sugar Subsidy payable under PDS for AAY Families" - saving of ₹4930.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30590.00 lakhs); and

(b) "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" - saving of ₹12500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less number of claims.

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1379.66 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से लेकर 39 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under four heads savings of ₹1379.66 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 16 percent to 39 percent of the total sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹859710.72 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹8034828.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था –

2. The above savings were partly (₹859710.72 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹8034828.00 lakhs under the following heads:-

(I) मुख्य शीर्ष “2408” – “खाद्य – खाद्य राजसहायता” –

(I) Major Head “2408” - “Food - Food Subsidies” -

(का) “चीनी का बफर स्टाक बनाने और उसके रखरखाव के लिए योजना” – ₹300.00 लाख।

(A) “Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar” - ₹300.00 lakhs.

(खा) “2019–20 के सत्र के लिए चीनी मिलों को सहायता की योजना” – ₹831.71 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹831.70 लाख था।

(B) “Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2019-20 Season” - ₹831.71 lakhs. Actual excess, however, was ₹831.70 lakhs.

(गा) “चीनी की हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागतों और चीनी के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन और भाडा शुल्क पर होने वाले व्यय के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने की योजना” – ₹1528.01 लाख।

(C) “Scheme for providing assistance to Sugar Mills for expenses on marketing costs including handling, upgrading and other processing costs and costs of international and internal transport and freight charges on export of sugar” - ₹1528.01 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” –

(II) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राज्य अभिकरणों को एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतरा राज्य आवाजाही और एफपीएस डीलरों को मार्जिन” – ₹758996.00 लाख।

(A) “Central Assistance/Share - Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealer’s margin under NFSA” - ₹758996.00 lakhs.

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राज्य अभिकरणों को एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतरा राज्य आवाजाही और एफपीएस डीलरों को मार्जिन” – ₹49067.60 लाख।

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealer’s margin under NFSA” - ₹49067.60 lakhs.

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – राज्य अभिकरणों को एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतरा राज्य आवाजाही और एफपीएस डीलरों को मार्जिन" – ₹25579.60 लाख।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA" - ₹25579.60 lakhs.

(III) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजना" –

(III) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राज्य अभिकरणों को एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतरा राज्य आवाजाही और एफपीएस डीलरों को मार्जिन" – ₹22907.80 लाख।

(A) "Central Assistance/Share - Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA" - ₹22907.80 lakhs.

(खा) "जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप योजना – राज्य अभिकरणों को एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतरा राज्य आवाजाही और एफपीएस डीलरों को मार्जिन" – ₹500.00 लाख।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA" - ₹500.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, समग्र बचतें (₹2143.00 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹324.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से कम थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹2143.00 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹324.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted less than 1 percent of the total sanctioned provision.

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4408"	Major Head "4408"				
खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Food Storage and Warehousing				
मू.	O.	194086.00			
पू.	S.	2.00	197045.67	197045.67	..
पु.	R.	2957.67			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2000.00			
पू.	S.	321.00	..	..	..
पु.	R.	-2321.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "6860"	Major Head "6860"				
उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	6881.00			
पू.	S.	1.00	4102.37	4102.33	-0.04
पु.	R.	-2779.63			

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹3138.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से मुख्य शीर्ष "4552" – "भंडारण और भांडागार – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत लेखाबद्ध ₹2321.00 लाख (₹321.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) – उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों के पुनर्विनियोग के कारण थे।

(I) Provision of ₹3138.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these ₹2321.00 lakhs (including supplementary grant of ₹321.00 lakhs) accounted for under Major Head "4552" - "Storage and Warehousing-Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "6860" – "चीनी – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – अनहाइड्रस एल्कोहल या एल्कोहल से एथेनाल उत्पादन के लिए चीनी मिलें" – ₹4061.04 लाख की बचत (₹4107.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग संचालित होने के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने के चलते हुई।

(II) Under Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol" - saving of ₹4061.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4107.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, scheme being demand driven.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹5183.20 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(का) मुख्य शीर्ष "4408" – "भंडारण और भांडागार" –

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" – ₹2821.00 लाख।

(ख) "अन्य व्यय – भारतीय खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान" – ₹463.83 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "6860" – "चीनी – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – खोई आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजना के लिए चीनी मिलों को ऋण" – ₹1898.37 लाख।

4. The above savings were partly (₹5183.20 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹4.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head "4408" - "Storage and Warehousing" -

(a) "Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - ₹2821.00 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Indian Grain Storage Management & Research Institute" - ₹463.83 lakhs.

(B) Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project" - ₹1898.37 lakhs.